सोसायटी फार सस्टेनेबल डि्वलपमेंन्ट, करौली [राजस्थान] 3222!।
फोन- 07464-21065

वार्षिक रिर्पोट-1996-97

सोसायटी फार सस्टेनेबल डि्वलपमेंन्ट [संस्थान] का यह वर्ष पिछले वर्ष शुरू किये गये कार्यक्रमो को पूरा करने व आगे बढ़ने की दिशा को क्षेत्र के लोगो के साथ मिल-कर स्पष्ट करने का रहा। संस्थान अपने मिशन "सतत विकास व प्राकृतिक संसाधनो के प्रबन्ध में लोगो की भागीदारी को बढ़ावा" की ओर अग्रसर रहा। कार्यक्षेत्र को इस वर्ष करौली व सपोटरा तहसील के अर्न्तगत सीमित रखा गया ।

प्राकृतिक संसाधनो का प्रबन्ध

1. वनों के प्रबन्ध में लोगो की भागीदारी :-

कैलादेवी अभ्यारण्य के अन्दर व सीमा पर बसे गाँवो में वन क्षेत्र लोगो के जीवनयापन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। डाँग क्षेत्र में बसे लोगो का वन क्षेत्र से ही गुजारा चलता है।

क्षेत्र के गाँवो में "कुल्हाड़ी वन्द पंचायत" के नाम से वन सुरक्षा व प्रबन्ध समि-तियो का गठन कर उन्हे मजबूत करने का प्रयास इस वर्ष भी जारी रहा। अभ्यारण्य के अन्दर व सीमा पर बसे महत्वपूर्ण गाँवो लक्रू की, मरमदा, खिजूदा, बीरमकी, खबेली, निभैरा, आशाकी, रावतपुरा, कल्याणपुरा, दौलतपुरा, राहिर, दयारामपुरा, बामूदा, पाटोर, महाराजपुरा, हसनपुरा, धर्मेडी, गोठा आदि में कुल्हाडी बन्द पंचायत कागठन हो चुका है। इन ग्रामों में पंचायत के गठन के समय वनविभाग के कर्मचारी व अधिकारी भी उपस्थित रहे थे। इन पंचायतों द्वारा अपनी समिति के संचालन के लिए स्वंय नियम बनाये है तथा अपराधियों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान किया गया है । ग्रामीणों के वन विभाग के उत्साह वर्धन के लिए प्रेस का सहयोग भी लिया जा रहा है । ग्रामीणों के इस प्रयास की जानकारी स्थानीय प्रशासनिक वन अधिकारियों व नीति निर्माताओं को भी दी जा रही है।

2. संयुक्त सुरक्षित क्षेत्र प्रबन्ध की संभावना :-

कानूनी रूप से अभ्यारण्य क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी से प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है । इस व्यवस्था को देखते हुए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली "सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्ध में संयुक्त भागीदारी की संभावना" पर एक शोध कार्य कर रहा है। देश में तीन सुरक्षित क्षेत्रों में जारी इस शोध में कैलादेवी अभ्यारण्य भी एक है । यहाँ पर यह शोध संस्थान के सहयोग से इस वर्ष सम्पन्न हुआ ।

इस शोध के परिणामों की जानकारी भारत सरकार, राजस्थान सरकार व गैर सरकारी संगठनों को भेजी जावेगी ताकि शोध से निकले निष्कर्षों का परिणाम प्राप्त हो सके ।

3· कैलादेवी अभ्यारण्य :संरक्षण की संभावनाऐं :-

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली और सोसायटी फॉर सस्टेनेबिल डबलपमेन्ट करौली द्वारा "कैलादेवी अभ्यारण्य :संरक्षण की संभावनाऐं" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 6-7 दिसम्बर 1998 को कैलादेवी में किया गया ।

इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य उन विभिन्न समूहों के बीच वार्तालाप की पहल करना था, जो अभ्यारण्य के संरक्षण पर प्रभाव डालते है और परिणाम स्वरूप इसके अर्न्तगत रहने वाले लोगो की आवश्यकताओ को प्रभावित करते है। इस कार्यशाला में 20 गाँवो के 60-70 लोगो ने भाग लिया जो अभ्यारण्य के अन्दर व आसपास के गाँवो में रहते है। इसके अतिरिक्त तीन गैर सरकारी संस्थाओ विश्वप्रकृति निधी भारत, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान व सोसायटी फार सस्टेनेबल डवलपमेंन्ट से सम्बन्धित व्यक्ति कुछ अवकाश प्राप्त वन अधिकारी व वन रक्षक तथा इस विषय में रूचि रखने वाले लोग भी थे । इस कार्यशाला में सामान्य विषयो पर बातचीत के अलावा तीन मुद्दो पर केन्द्रित बातचीत हुई। इनमें अभ्यारण्य संरक्षण की महत्ता को ध्यान में रखते हुये ग्रामीणों के जीवन यापन के लिए प्राकृतिक स्त्रोतों पर अधिकार व पहुँच, अभ्यारण्य पर पड रहे बाह्य दबाव को रोकने के लिए पहल, ग्रामीण स्तर की वन सुरक्षा समिति को शक्ति प्रदान करने के तरीके और कुलहडी बन्द पंचायत क्षेत्र को और अधिक संरक्षित करने के लिए संस्थान कार्यशाला में पारित प्रस्तावों की क्रियान्विति का कार्य शुरू कर चुका है। इसके लिए बाघ परियोजना क्षेत्र निदेशक कार्यालय मुख्य वन्य जीवसंरक्षक राजस्थान सरकार व वनमंत्री राजस्थान को कार्यवाही के लिए लिखा गया है ।

4· पीने के पानी की समस्या :-

संस्थान के कार्य क्षेत्र के गाँवों में मवेशियों व मानवों को पीने के पानी की कमी की वजह से भारी समस्या रहती है ।सरकार द्वारा लगवाये हेण्डपम्प खराब हो गये है अथवा पानी का स्तर नीचे उतर जाने की वजह से कार्य करना बन्द कर चुके है । इसी प्रकार कुओं का पानी भी सूख चुका है संस्थान ने इस सम्बन्ध में लोगों के साथ मिलकर प्रशासन को लगातार जानकारी देने का कार्य किया है । संस्थान द्वारा प्रशासन से मिलकर 12 गाँवों में टैंकर के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराया है । इसी प्रकार जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के साथ मिलकर खराब हेण्डपम्पों को नकारा घोषित करवाने व उनकी जगह नये हेण्डपम्प लगाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे है ।

5· जल संसाधनों का सामुदायिक प्रबन्ध:-

संस्थान के कार्य क्षेत्र में पीने के लिए ही नहीं बल्कि सिंचाई के लिए भी पानी की भारी कमी है इस कमी को दूर करने का एक मात्र साधन वर्षा के पानी को रोककर तालाब, पोखर व एनीकट के माध्यम से पानी का उपयोग करना है । संस्था पूरे डांग क्षेत्र में इस प्रकार के प्रयास शुरू कर क्षेत्र की पानी की समस्या दूर करने की सोच रखती है संस्थान ने इस वर्ष प्रयोग के तौर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पंचायत समिति करौली व ग्राम पंचायत कैलादेवी के आर्थिक सहयोग से लखरू की, दौलतियाव गोंदपुरा के मध्य स्थापित "सिंघाडे का ताल" नामक तालाब पर मिट्टी की सफाई व तालाब की पाल पक्की करने का कार्य हाथ में लिया । इस मरम्मत व सफाई की तकनकी पूरी तरह ग्रामीणों के अनुभव व ज्ञान पर आधारित थी । सरकार द्वारा अकालराहत कार्यों के तहत इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी । इस तालाब मरम्मत व पुर्ननिर्माण के बाद ग्रामीणों को भारी फायदा हुआ और उनकी पानी की कमी की बजह से मध्य-प्रदेश व राजस्थान के अन्य हिस्से में अन्यत्र पलायन कर जाने के समय में भी कमी हुई है ।

संस्थान ने इस क्षेत्र में पानी की कमी दूर करने के लिए तरुण भारत संघ नामक संस्थान को आमंत्रित किया । संस्थान के सचिव व अन्य कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र का निरीक्षण कर माना कि तालाब पोखरों की मरम्मत व पुर्ननिर्माण कर तथा नये एनीकट बनाकर न केवल क्षेत्र से पानी की कमी दूर की जा सकती है बल्कि लोगों की आय मे में बढ़ोतरी हो सकती है ।

6· पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम:-

संस्थान ने कैलादेवी अभ्यारण्य के अन्तर्गत आने वाले ग्रामोंमें पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम में रणनीति तैयार करने के लिए 12गाँवों का चयन किया है इस रणनीति में अभ्यारण्य पर पड रहे दबाब को कम करने के लिए योजना तैयार की जा रही है यह योजना लोगों की पूर्ण भागीदारी व सहभागिता से बनाई जा रही है । इस योजना को तैयार करने में विश्व प्रकृति निधी भारत की मदद मिल रही है योजना तैयार हो जाने के पश्चात इसका क्षेत्र में क्रियान्वयन किया जावेगा ।

7· बाघ परियोजना का पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम:-

भारत सरकार, विश्व बैंक व ग्लोबल इन्वायरमेन्ट फैसिलिटी के सहयोग से रणथम्भौर सहित देश की सात बाघ परियोजनाओं में इन्डिया इकोडिवलपमेन्ट कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने जा रही है । संस्थान कैलादेवी अभ्यारण्य सहित रणथम्भौर बाघ परियोजना में प्रशासन को मदद कर रहा है । संस्थान की मदद पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम का सही तरीके से क्रियान्वयन तथा गाँवों के जबरदस्ती पुन:स्थापन

8· जलग्रहण विकास कार्यक्रम:-

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास जलग्रहण क्षेत्र विकास की दृष्टि से करने के निर्देश जारी किए गए है । संस्था जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सहयोग से करौली पंचायत समिति क्षेत्र में इस योजना का क्रियान्वयन कर रही है । संस्थान के चार सदस्य जल ग्रहण विकास कार्यक्रम के दल के सदस्य के रूप में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा प्रायोजित व भारतीय ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान जयपुर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग ले चुके है ।

9· निष्क्रमणकारी भेड समस्या:-

करौली व सपोटरा के वनाच्छादित क्षेत्र के विनाश का मुख्य कारण मारवाड से आने वाली निष्क्रमणकारी भेडें रही है । इन भेडों की वजह से धारा व पेडों पर तो असर पडा ही है स्थानीय निवासी भी इनके आते रहने से क्रोधित है । इसी वजह से भेड पालकों व स्थानीय ग्रामीणों में तनाव बने रहने से झगडा होता रहता है । पिछले वर्षों में दोनों पक्षों के कई लोग हताहत भी हुए है इन भेडों के इधर के वन क्षेत्रों में चरने के लिए राज्य स्तर पर उच्चाधिकारियों द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है । जिसमें पारिस्थितिकी नुकसान को कोई ध्यान नहीं रखा जाता है ।

निष्क्रमणकारी भेडों की समस्या जुलाई से मार्च, 9 माह तक रहती है । इस अभ्यारण्य अधिकारियों से मिलकर किये गये प्रयासों के बाद भेडों का अभ्यारण्य क्षेत्रों में प्रवेश तो बन्द हो गया है परन्तु अभ्यारण्य के बाहर भेडों की चराई का दबाव बढ गया है इस समस्या को दूर करने के लिए संस्थान स्थानीय वन अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं व ग्रामीणों के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है ।

10· प्रशिक्षण प्रदर्शन यात्रा:-

संस्थान के कार्य क्षेत्र में पूर्व में कभीकिसी गैर सरकारी संस्था ने कार्य नहींकिया है इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के बारे में कई गलत फहमियाँ हो जाती है । गैर सरकारी संस्थाऐं क्या होती है, किस प्रकार कार्य करती है, उनकी आय के स्त्रोत क्या होते है, क्षेत्रीय समस्याओं की पहचान कर उन्हें सहभागिता व संस्थाओं के सहयोग से किस प्रकार दूर किया जा सकता है आदि कईसवाल लोगों द्वारा समय समय पर पूछे जाते रहे है इनी बातों को ध्यान में रखते हुए 6 गाँवों के 12 ग्रामीणों जिनमें 4 महिलाओं भी, की एक प्रशिक्षण प्रदर्शन यात्रा का आयेजन 9 से 11 मार्च 97 को किया गया । इस यात्रा में गाम पंचायत सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम पटेल आदि सभी लोगों ने भाग लिया । यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित गाँव गोपालपुरा, अलवर जिले में जन सहभागिता से हो रहे जलप्रबन्ध, अन्य संस्थाओं के

11. वनवासी अधिकार अभियान:-

संस्थान कैलादेवी अभ्यारण्य में बसे ग्रामीणों वनवासियों के साथ मिलकर वनवासी अधिकार अभियान चला रही है ।

वनों खासकर सुरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों के अन्दर व आसपास रहने वाले लोगों का जीवन यापन मूल रूप से वन क्षेत्र व अन्य उत्पादों से चलता है । इस क्षेत्र में मूलत: दलित, पिछडी जाति व जनजाति के लोग रहते है । शिक्षा व जानकारी के अभाव में इनका शोषण होता रहता है । इस क्षेत्र में सूचना व अधिकारों की जानकारी नहीं होने से इनका कई परेशानी उठानी पडती है । लोगों के अधिकारों की जानकारी देकर उन्हें संगठित करने, अभ्यारण्य क्षेत्रों में समस्याओं की पहचान कर लोगो की सहभागिता के साथ उन्हे सुलझाने, अभ्यारण्य के जीव जन्तु व पेड़ पौधो का सरंक्षण लोगो द्वारा करने के लिए प्रेरित करने के साथ उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में सहयोग करने के लिए संस्थान ने यह अभियान शुरू किया है।

इस अभियान के माध्यम से अभी तक वन विभाग व लोगो के बीच कई बैठकों का आयोजन किया गया है इससे लोगो की समस्याओ की पहचान कर दूर करने के सामूहिक प्रयास शुरू हुये है। वन्यजीवो द्वारा मवेशियों व ग्रामीणो पर हमला कर घायल कर देने या मार देने पर मुआवजा, पानी की कमी दूर करने के लिए स्नीकटो का निर्माण, पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमो की योजना बनाना आदि कई कार्यक्रम बाघ परियोजना प्रशासन ने शुरू किये है। संस्थान इसके लिए अन्य राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय सरकारी गैर सरकारी संस्थाओ के साथ समनवय, अर्न्तराष्ट्रीय समझौते व कानूनी प्रावधानो का उपयोग व मीड़िया का सहयोग ले रहा है।

सतत विकास

12. ग्रामस्तरीय विकास संगठन निर्माण:-

संस्थान विकास योजना से क्रियान्वयन तक के कार्यो के विकेन्द्रीकरण की पक्षधर है । इसी सोच को लेकर संस्था ने अपने कार्यक्षेत्र के गांवों में, गाम विकास संगठनो का निर्माण किया है । यही संगठन विकास की योजना तय करने से लेकर उनके क्रियान्वयन तक का कार्य करेंगे, साथ ही साथ ग्राम सीमा (तन) में आने वाले सभी प्राकृतिकसंसाधनों का प्रबन्ध भी करेंगे । अभी तक 8 ग्रामों में इस तरह के संगठन का निर्माण किया गया है । इन संगठनों केनिर्माण करते समय गाँव में पूर्व से चले आ रहे अन्याय भेदों का ध्यान रखा गया है तथा कोशिश की जा रही है कि गाँव में इनके माध्यम से संगठन बन सके ।

13· पंचायती राज कार्यशाला:-

पंचायती राज संस्थाओं के क्षमतावर्धन के लिए एक दिवसीय परामर्शशाला 22 दिसम्बर 1996 को कैलादेवी में आयोजित की गई । इस परामर्शशाला में 17 ग्राम पंचायतों के सरपंच व उप सरपंच आमंत्रित किये गये थे । इस परामर्शशाला में मुख्यत सरपंचों व उपसरपंचोंकि ~~xxxxx~~ के पंचायत संचालन में आ रही कठिनाइयों को जानाना व समझना तथा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार करने परचर्चा की गई । इस परामर्शशाला से निकले सुझावों को सरकारी अधिकारियों प्रशासकोंव राजनेताओं को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया ।

14· पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती:-

संस्थान ग्राम पंचायतों को विकास का महत्वपूर्ण स्तम्भ मानकर चलती है । राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति व क्षमतावर्धन के लिए संस्थान द्वारा प्रयास किया जा रहा है । संस्थान द्वारा करौली व सपोटरा पंचायत समिति की 5 ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर उनकी क्षमतावर्धन के लिए आवश्यक प्रयास कर रही है इसके लिए उन्नति विकास शिक्षण संस्थान अहमदाबाद द्वारा आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है ।

15· ढांचागत समायोजन का प्रभाव:-

संस्थान 1991 से जारी ढांचागत समायोजन व आर्थिक नीति के ग्रामीण समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों के जांचने के लिए सर्वे कार्य कर रही है । इस सर्वेक्षण के तहत पहले निर्भेरा, मरमदा, आशाकी रायबेली गांवो के 60 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया । यह सर्वे कार्य आस्था उदयपुर केसाथ किया जा रहा है । इस सर्वे से पता लग सकेगा कि वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ।

16· मानव संसाधन विकास:-

संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को सूचना व तकनीकि की जानकारी देकर, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उनमेंउत्साह व आत्मविश्वास पैदा कर रही है । इसी प्रकार संस्थान के कार्यकर्ता भी विभिन्न प्रशिक्षणों व कार्यशालाओं में भाग लेकर अपनी जानकारी ज्ञान व क्षमता बर्धन करते रहते है ।